जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– ज.वि.प्रा. / अति.मु.न.नि. / बी.पी.सी.(बीपी) / 2024 / डी–928 दिनांकः– 04/7/2024

(भवन निर्माण स्वीकृति पत्र)

मैसर्स भव्या ग्रीन बिल्डर्स जरिये पार्टनर,
श्री अनुज अरोडा
ए–405. मालवीय नगर, जयपुर।

विषयः– खसरा नम्बर 626/6, ग्राम टीलावाला, तहसील सांगानेर, जयपुर के आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रकरण भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 291वीं बैठक दिनांक 22.05.2024 में प्रस्तुत किया गया, जिसमें लिये गये निर्णयानुसार भवन निर्माण स्वीकृति निम्नानुसार जारी की जाती हैः–

1.	भूखण्ड का क्षेत्रफल	1047.00 व.मी.	
2.	भूखण्ड के सामने सड़क की चौडाई	18 मीटर (60 फीट)	
3.	फ्री होल्ड डीड जारी दिनांक	06.03.2024	**भू–उपयोगः–** आवासीय प्रयोजनार्थ
4.	पुर्नगठित / एकल पट्टा / उप विभाजन	एकल पट्टा	
5.	प्रस्तावित भवन मानचित्रों का प्रयोजन	आवासीय प्रयोजनार्थ भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्।	
6.	वास्तुविद का नाम एवं पंजीयन क्रमांक	श्रीकृष्ण, वास्तुविद, CA/99/25451	

अनुमोदित मानदण्डः–

1.	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि	भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात **दिनांक 03.07.2031 तक** प्रभावी है।			
2.	सैटबैक	सामने–I	पार्श्व–I	पार्श्व–II	पीछे
		9.14 मी.	7.62 मी.	7.62 मी.	7.62 मी.
3.	सकल निर्मित क्षेत्रफल	4613.44 व.मी.			
4.	बी.ए.आर.	3.36 (3518.66 व.मी.)			
5.	आच्छादित क्षेत्रफल	सेटबैक क्षेत्र के अन्दर			
6.	ऊँचाई	0.75 मी. (प्लिन्थ) + 3.82 मी. (स्टिल्ट) + 30 (प्रथम से 10 तल) **=34.57 मी.** (प्लिन्थ छोडकर) + 6 मी. (मशीन रूम) कुल 40.57 मी.			
7.	तलों की संख्या	(स्टिल्ट + 10 तल)			
8.	पार्किंग	कार			
		सरफेस	मैकेनिकल	स्कूटर	बस	कुल ईसीयू
		22	5	20	–	33.66 ईसीयू स्टिल्ट पर–18 ईसीयू 25% मैकेनिकल–5 ईसीयू

तथ्यः–

1.	प्रथम अनुमोदन / संशोधन	प्रथम अनुमोदन
2.	समिति की बैठक संख्या एवं दिनांक	291वीं बैठक दिनांक 22.05.2024

अनापत्ति प्रमाण पत्रः–

1.	अग्निशमन विभाग	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
2.	पर्यावरण विभाग का Consent to operate	अधिवास प्रमाण पत्र आवेदन के समय प्रस्तुत की जानी है।
3.	भारतीय नागरिक उड्डयन विभाग	एयरपोर्ट एन.ओ.सी. दिनांक 03.04.2024 के अनुसार 53.91 मीटर ऊँचाई अनुज्ञेय है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 01.04.2032 तक प्रभावी है। साईट कॉर्डिनेट्स निम्नानुसार हैः–

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.07.04 16:19:42 IST
Reason: Approved

		26 49 10.69 N	75 51 16.11 E
		26 49 09.54 N	75 51 16.37 E
		26 49 10.88 N	75 51 17.13 E
		26 49 09.73 N	75 51 17.40 E

सामान्य शर्तेः–

1. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त जोन–09, प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेगे।
2. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्ट रूप से दर्शाने होगें।
3. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावें।
4. भवन का उपयोग प्रांरभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावें जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावें ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।
5. विकासकर्ता द्वारा भवन के परिसर को स्वीकृत मानचित्र में दर्शित/निर्धारित अनुसार ही उपयोग में लिया जावेगा।
6. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(x) के अनुसार भवन में अपेक्षित सेवाओ यथा प्रस्तावित जल वितरण प्रणाली, जल मल निकासी प्रणाली, विद्युत सेवाऐं, वातानुकूल सेवाऐं आदि से संबंधित मानचित्रों के दो सैट जो कि आवेदित परियोजना की डिजाईन व निर्माण की क्रियान्विति हेतु अनुबंधित किये गये काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर से रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट एवं परियोजना के स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ही प्रमाणित किये हुये, अधिकतम 90 दिवस की अवधि में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।
7. प्रकरण बहुमंजिला भवन होने के कारण भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.2(xi) के अनुसार आप द्वारा भवन में अग्निशमन संबंधित प्रावधान एन.बी.सी. के अनुसार रखे जाने आवश्यक होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी होगी। भवन निर्माण पूर्ण हो जाने के पश्चात अधिवास प्रमाण–पत्र जारी करने से पूर्व अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
8. परियोजना में भूखण्ड़ के क्षेत्रफल, प्रस्तावित सकल निर्मित क्षेत्रफल एवं ऊँचाई अनुसार भवन विनियम 2020 से संबंधित प्रावधान संख्या 10.11 (पर्यावरण संरक्षण हेतु नियम), नियम 10.11.1 (वर्षा जल संग्रहण), 10.11.2 व नविवि के आदेश दिनांक 07.09.2021 (अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलींग हेतु प्रावधानों की अनुपालना) 10.11.3 (पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण), 10.11.4 (सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल), 10.11.5 (सौर ऊर्जा संयत्र), 10.11.2.5 व 16.3 (सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट), 12.1 (पार्किंग क्षेत्र की पालना), 12.3 (विद्युत आवश्यक की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेन्सी के प्रावधान), विनियम संख्या 15 (निर्माण कार्य के दौरान अपनाई जाने वाली प्रक्रिया), नियम संख्या 15.5 (भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण) के प्रावधानों की अनुपालना की जानी होगी।
9. भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.1.4 (अ) के अनुसार आवश्यक पार्किंग का 10 प्रतिशत EV Charging Facility के प्रावधान की मौके पर सुनिश्चितता की जावेंगी।
10. भवन में RPWD Act 2016, UNCRPD Act 2006 एवं प्रचलित भवन विनियम में विनिर्दिष्ट धाराओं के अनुसार विशेष योग्यजनों के लिए आवश्यक मापदण्ड/सुविधाओं/साईन बोर्ड/दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
11. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 14.12.2022 के अनुसार भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 12.4 के अनुसार भवन में Common Telecom Infrastrcture (CTI) के प्रावधान की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
12. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भूखण्ड से लगती हुई सम्पूर्ण सभी सडकों का विकास, फुटपाथ एवं वृक्षारोपण का प्रावधान स्वयं के व्यय पर सुनिश्चित किया जाना होगा।
13. नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 10.08.2023 के अनुसार भवन में प्रत्येक लिफ्ट में ए.आर.डी. (Automatic Rescue Device) सिस्टम का प्रावधान रखा जाना होगा।

RajKaj Ref
6596867

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.07.04 16:19:42 IST
Reason: Approved

14. आकाशीय बिजली से बचाव हेतु भवन में Thunder stick (तडित चालक) का प्रावधान रखा जाना अनिवार्य होगा।
15. भवन परिसर में आगतुकों की पार्किंग उपलब्ध करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
16. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्पले) लगवाया जावें।
17. यह भवन निर्माण स्वीकृति स्वामित्व का दस्तावेज नहीं हैं।
18. भवन विनियम 2020 के विनियम संख्या 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।"
19. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगें।
20. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पडे या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
21. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घन्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण–पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
22. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना के अधिवास प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग एवं पर्यावरण विभाग का Consent to operate नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही अधिवास प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।
23. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते है कि आप द्वारा परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण किये जाने के पश्चात नियमानुसार पूर्णता एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक हैं।
24. प्रस्तावित परियोजना की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक हैं। अतः अनुमोदित भवन मानचित्र जारी किये जाने के पश्चात 90 दिवस की अवधि में संरचनात्मक सुरक्षा के उपायों से संबंधित समस्त दस्तावेजों मय स्ट्रक्चरल डिजाईन मानचित्रों को राजकीय स्तर के संस्थानों यथा आईआईटी/एनआईटी/राजकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय/राज्य सरकार द्वारा अथवा विनियम–19 व 20 के अनुसार पंजीकृत तकनीकीविज्ञ से प्रमाणित करवाकर आवश्यक रूप से नगरीय निकाय में प्रस्तुत की जानी होगी।
25. आप द्वारा लेबर सेस की प्रति वर्ष शेष राशि स्वयं के स्तर पर लेबर विभाग में जमा करवाई जानी होगी।

विशेष शर्तें:–

1. प्रश्नगत भूखण्ड़ की लीजहोल्ड डीड से फ्री होल्ड डीड दिनांक 06.03.2024 को जारी की गई हैं। अतः भवन निर्माण अवधि 7 वर्ष अर्थात दिनांक 05.03.2031 तक देय होगी।
2. यह भवन मानचित्र अनुज्ञा अवधि मानचित्र जारी होने की दिनांक से 7 वर्ष अर्थात दिनांक 03.07.2031 तक प्रभावी हैं।
3. आप द्वारा मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 5 लाख रूपये की बैंक गारन्टी (मुख्य प्रबन्धक, एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि., प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 3, जैम एन्क्लेव, गुरू नानक पथ, कैलगिरी मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर) नम्बर BFCIPBG241720001 Dated 20.06.2024 की वैद्यता अवधि दिनांक 18.06.2026 & Claim Expiry Date 18.06.2027 का क्लेम अधिवास प्रमाण पत्र जारी होने के पश्चात किया जावेगा।
4. यह भवन निर्माण स्वीकृति आप द्वारा मांग राशि जमा होने एवं बेटरमेन्ट लेवी हेतु निम्नानुसार पांच उत्तर दिनांकित चैक प्रस्तुत किये जाने के आधार पर दी जा रही है:–

बैंक का नाम	चैक संख्या	राशि	किश्त	दिनांक
HDFC BANK	002694	7,84,349/–	प्रथम	30.05.2025
	002695	7,84,349/–	द्वितीय	30.02.2026
	002703	7,84,349/–	तृतीय	30.11.2026

Signature valid

Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.07.04 16:19:42 IST
Reason: Approved

Rajkaj Ref
[illegible]96867

	002704	7,84,349/-	चतुर्थ	30.08.2027
	002705	7,84,349/-	पंचम	30.05.2028

यदि आप द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होते हैं तो नियमानुसार ब्याज देय होगा एवं आप द्वारा बेटरमेन्ट लेवी राशि जमा नहीं करवायें जाने पर भवन निर्माण स्वीकृति स्वतः ही निरस्त मानी जावेंगी। भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 276वीं बैठक दिनांक 11.08.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णयानुसार उत्तर दिनांकित चैक अनादरित (Dishonor) होने पर भविष्य में आपकी किसी भी अन्य परियोजना का जविप्रा द्वारा अनुमोदन नहीं किया जावेंगा तथा मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) द्वारा जविप्रा एक्ट की धारा 32, 33, 34ए एवं अन्य संबंधित धाराओं के प्रावधानानुसार उक्त परियोजना का कार्य को मौके पर रूकवाने हेतु सूचित किया जाकर प्रवर्तन शाखा द्वारा भवन को सीज करने की अविलम्ब कार्यवाही की जावेगी।

संलग्नः– मानचित्रों की प्रति का 1 सेट (03 मानचित्र)

भवदीय,

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. मुख्य नियन्त्रक (प्रर्वतन), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (03 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
2. उपायुक्त जोन–09, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को मानचित्रों की प्रति (03 मानचित्र) संलग्न कर अग्रिम लेख है कि भवन विनियम 2020 के प्रावधान संख्या 10.3.1 (बहुमंजिला भवनों हेतु) के क्रम में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण (Upgradation) हेतु विकास योजनाऐं तैयार किये जाने की कार्यवाही जोन/अभियांत्रिकी शाखा द्वारा सुनिश्चित किये जाने की कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
3. प्रबंध निदेशक, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0, विद्युत भवन जनपथ, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
4. मुख्य अभियन्ता, मुख्यालय जन स्वाथ्य अभियांत्रिकी विभाग हसनपुरा रोड, रेल्वे हॉस्पीटल के पास, जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
5. उपायुक्त राजस्व–प्रथम, नगर निगम, जयपुर को पत्र क्रमांक एफ. 6()/उपा. रा (प्रथम)/जननि/2019/18 दिनांक 08.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित हैं।
6. मुख्य प्रबन्धक, मुख्य प्रबन्धक, ए.यू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि., प्रथम तल, प्लॉट नम्बर 3, जैम एन्क्लेव, गुरू नानक पथ, कैलगिरी मार्ग, मालवीय नगर, जयपुर द्वारा मैकेनिकल कार पार्किंग हेतु 5 लाख रूपये की बैंक गारन्टी BFCIPBG241720001 Dated 20.06.2024 की वैद्यता अवधि दिनांक 18.06.2026 & Claim Expiry Date 18.06.2027 तक हैं। अतः जविप्रा से अनापत्ति प्राप्त करने के पश्चात ही प्रकरण में बैंक गारन्टी लौटाई जावें।
7. चीफ एयरपोर्ट अधिकारी, जयपुर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर को पत्र क्रमांक 897–900 दिनांक 03.04.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

RajKaj Ref
1596867

Signature valid
Digitally signed by Rinku Bansal
Designation : Additional Chief town Planner
Date: 2024.07.04 16:19:42 IST
Reason: Approved

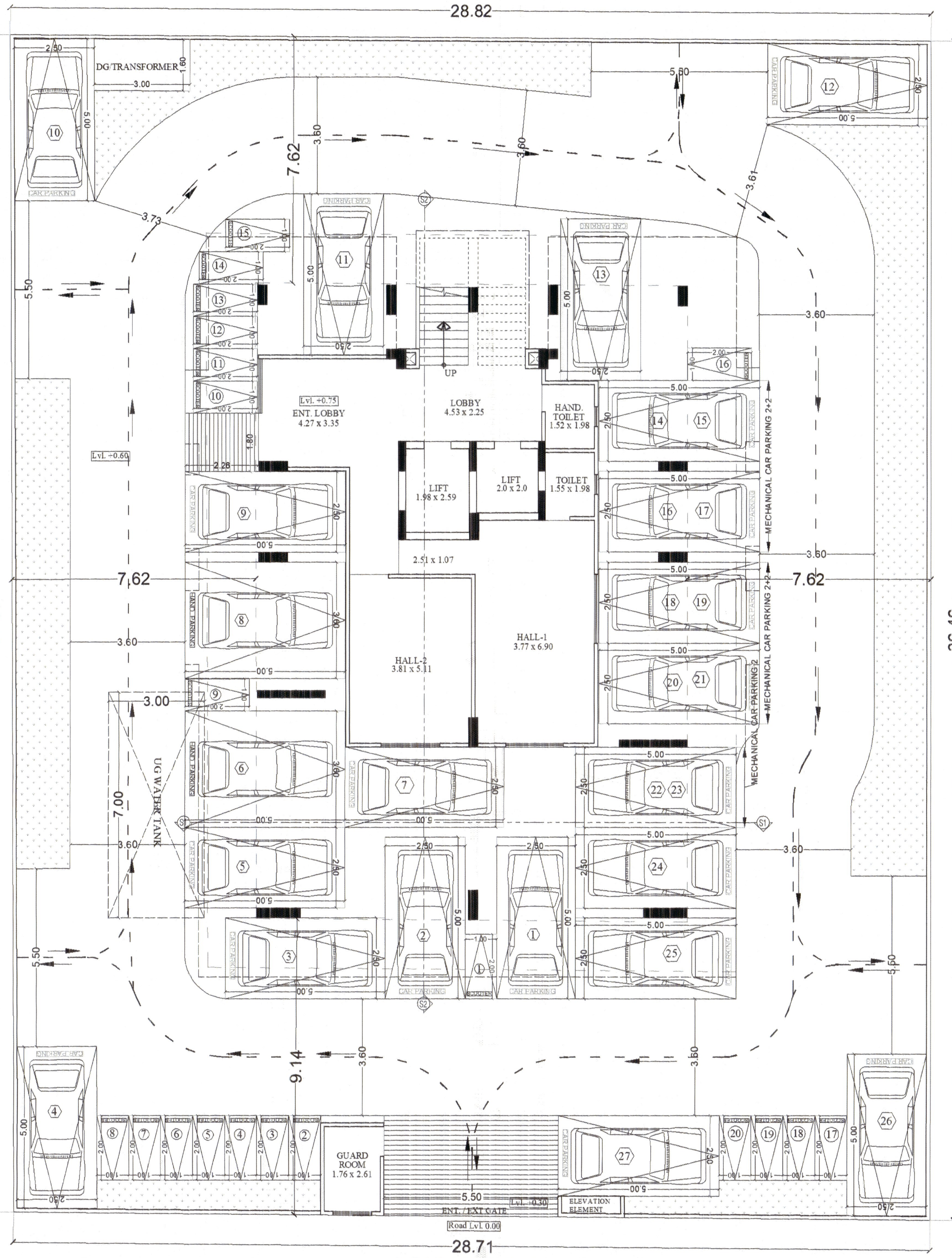

STILT FLOOR PLAN

ROAD 60'-0" WIDE

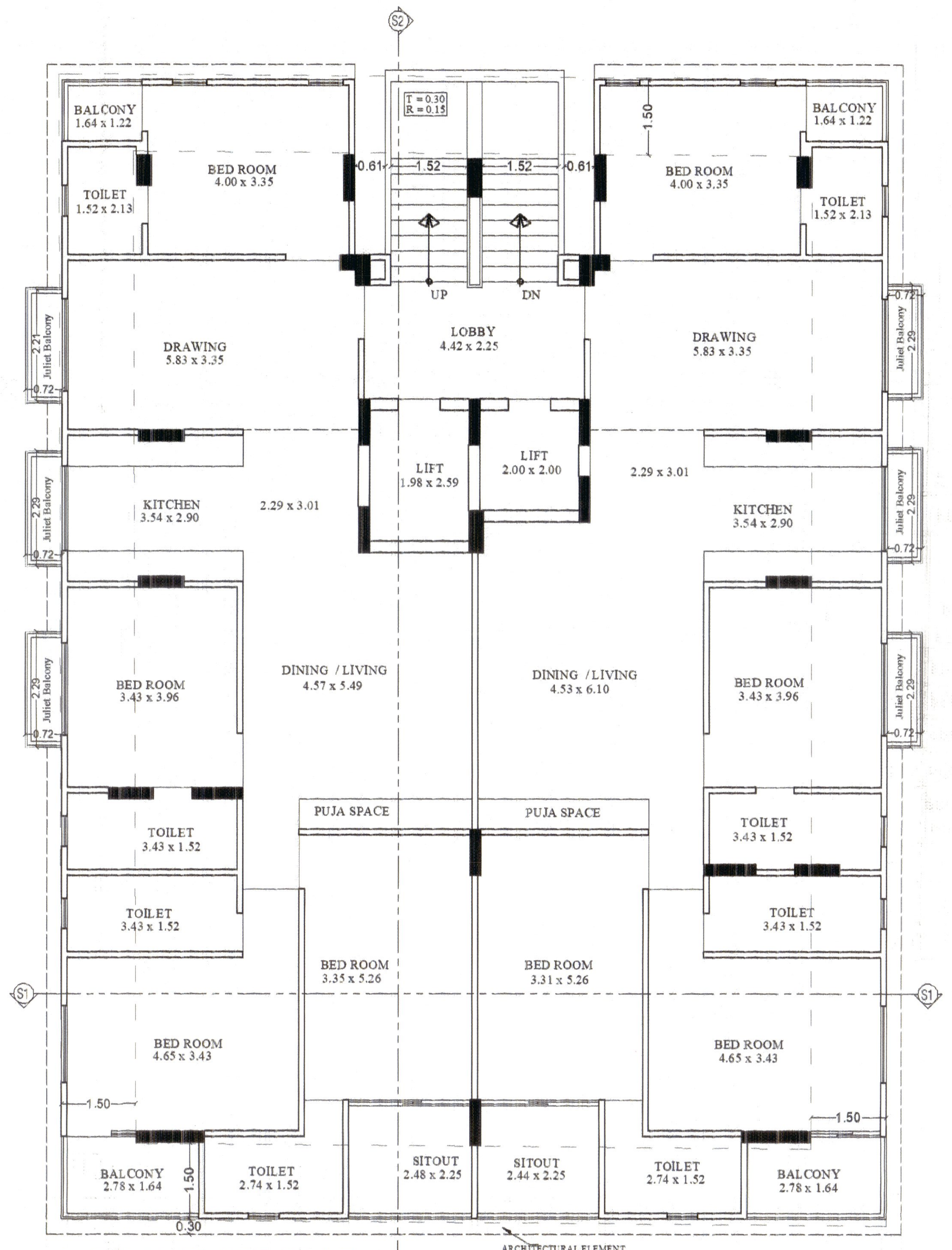

1st TO 9th FLOOR PLAN

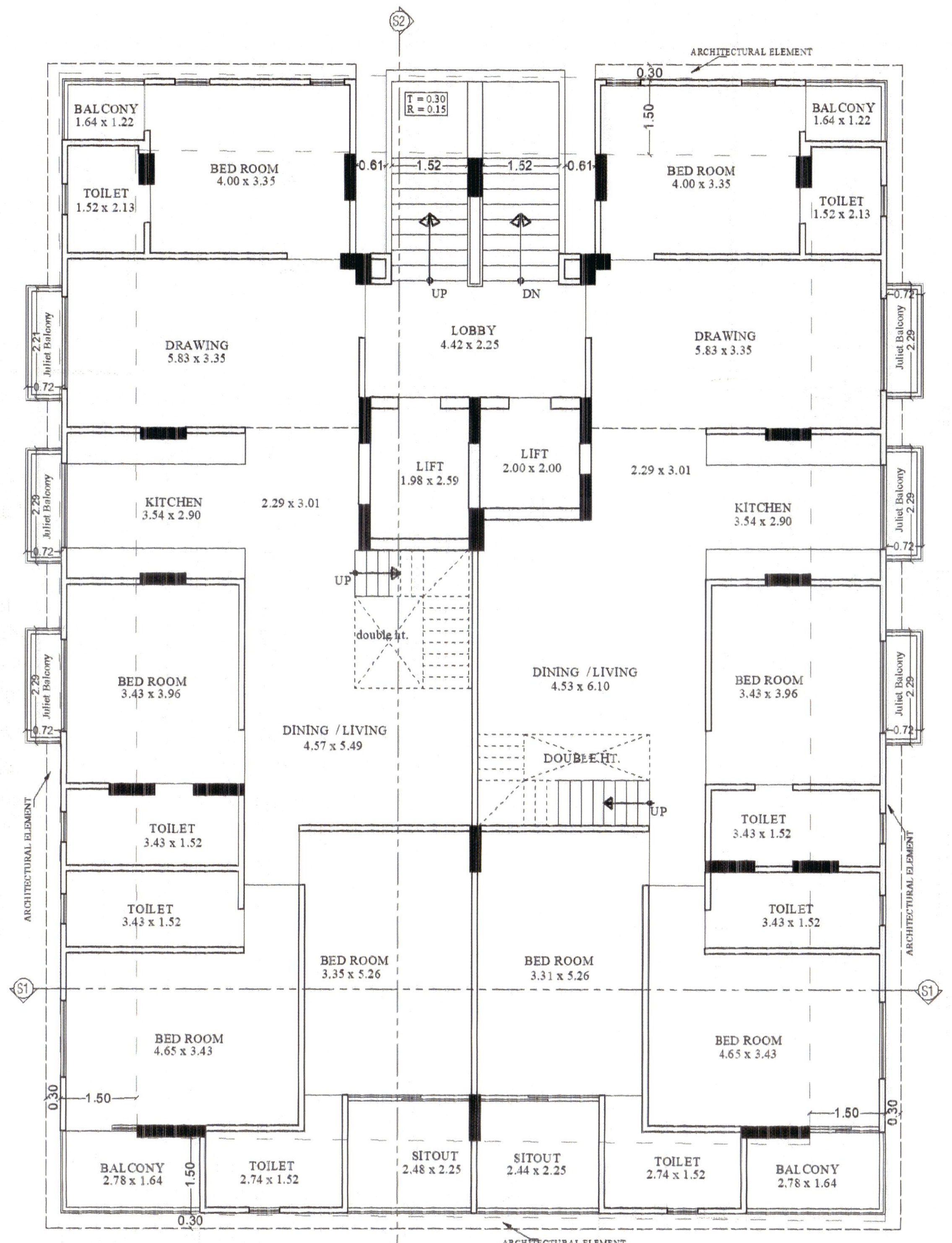

10th FLOOR PLAN

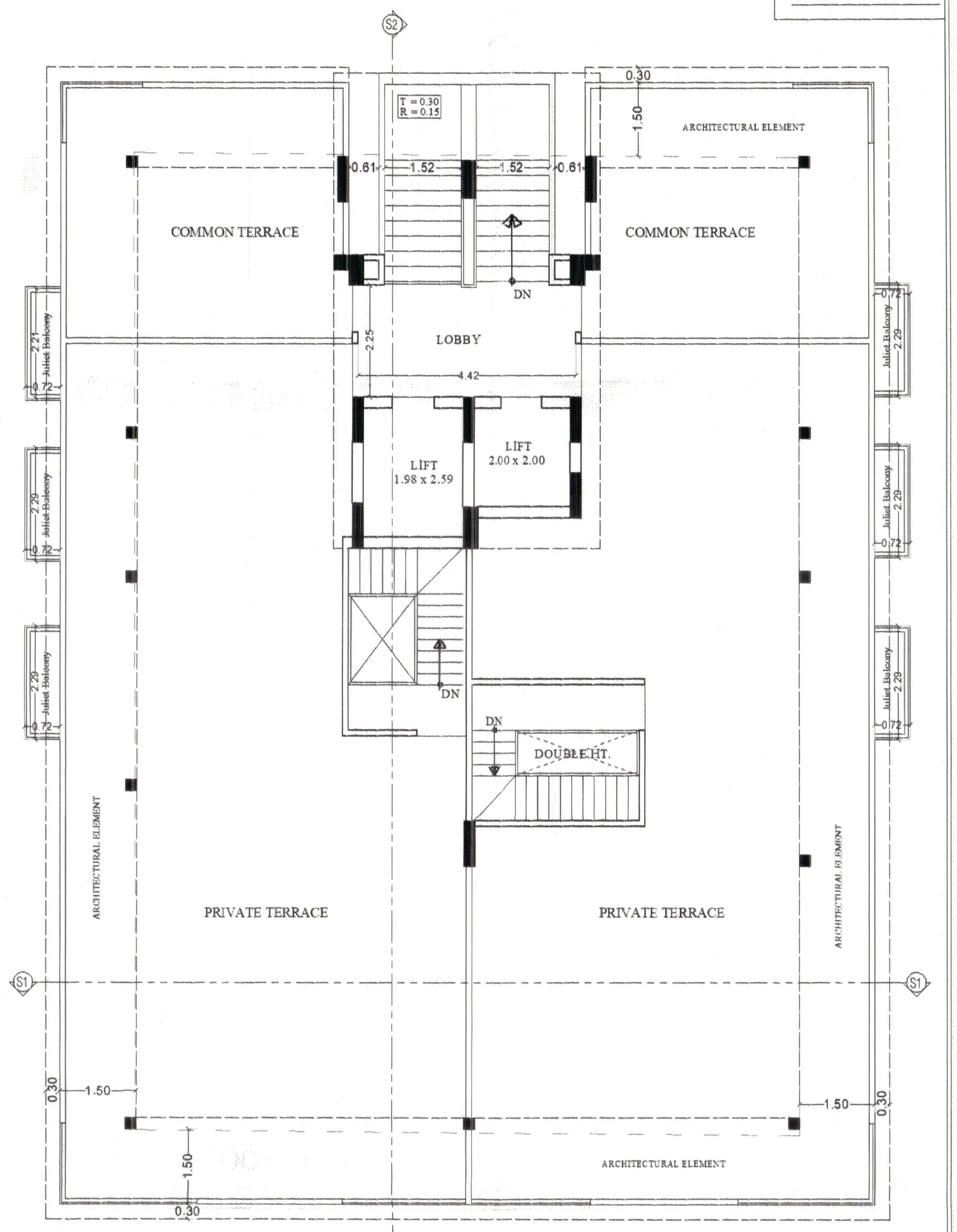

TERRACE FLOOR PLAN

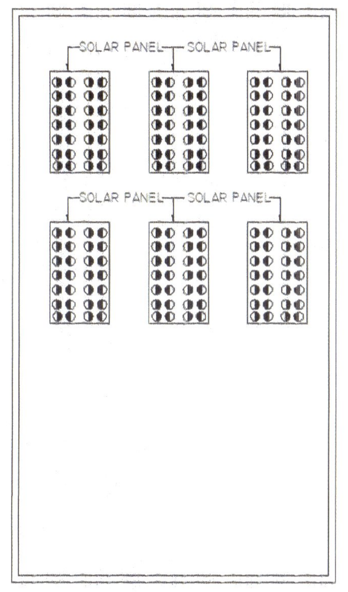

MUMTY PLAN

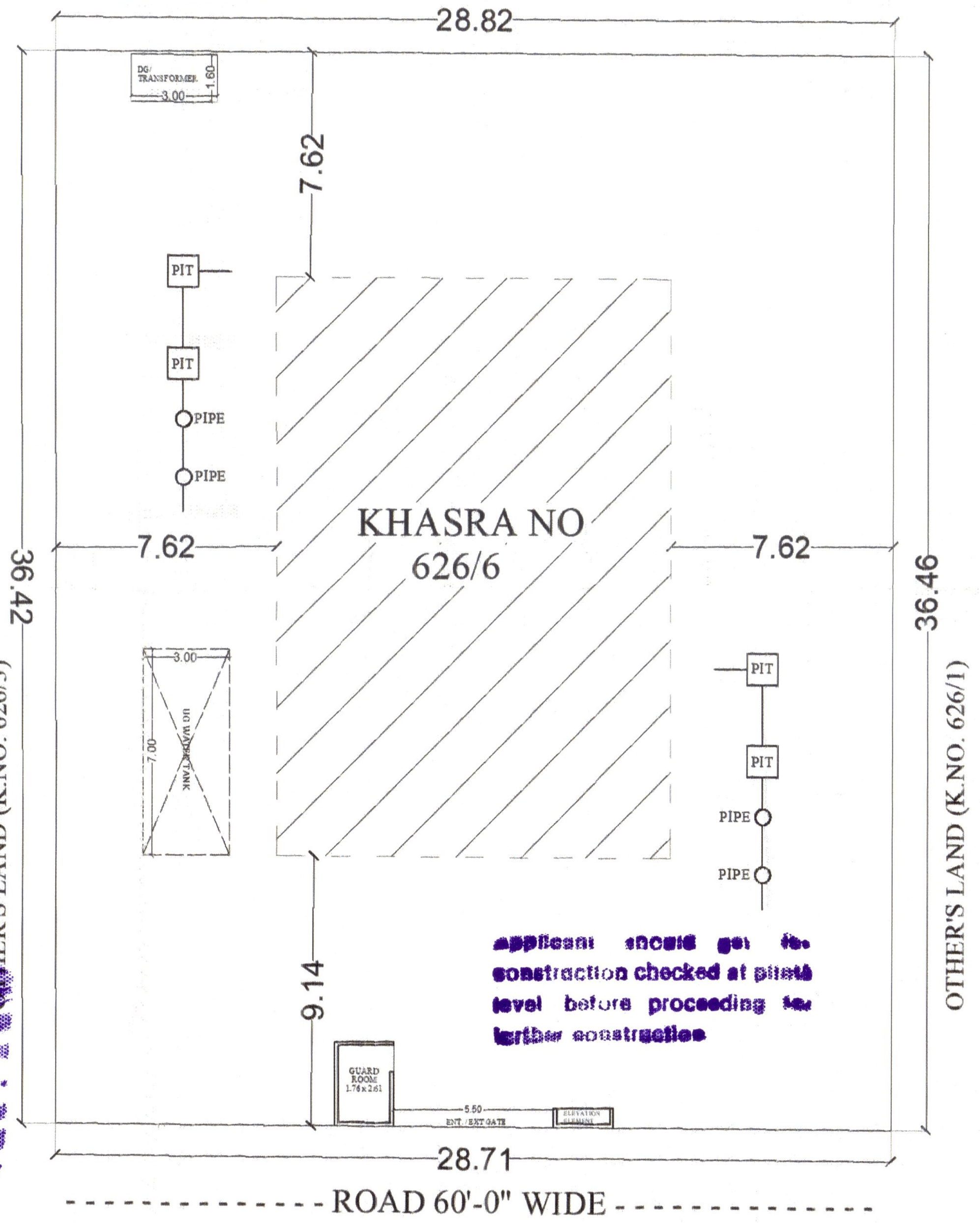

SCALE 1:200

SITE PLAN & RAIN WATER HARVESTING PLAN

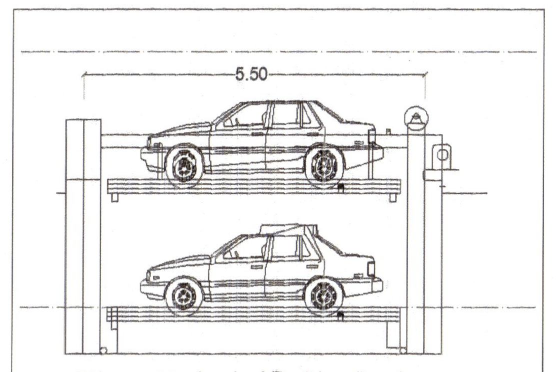

2 Layer Mechanical Parking Section

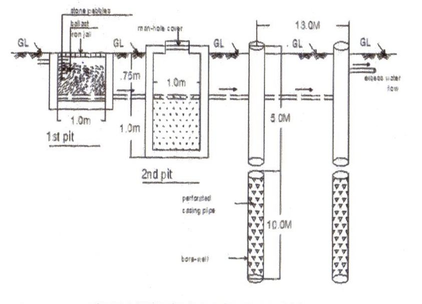

SECTION THROUGH R.W. HARVESTING PITS

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

S.NO.	REFERENCE :-
1.	TOTAL PLOT AREA = 1047.00 SQ.MT.
2.	STANDARD B.A.R. = 1047.00 X 1.80 = 1,884.6 SQ.MT.
3.	PROPOSED B.A.R. = 3518.66 SQ.MT. (3.36) PROPOSED ADDITIONAL B.A.R. = (3518.66) - (1884.6) = 1,634.06 SQ.MT.
4.	PERMISSIBLE GROUND COVERAGE= WITH IN SETBACKS
5.	PROPOSED GROUND COVERAGE = WITH IN SETBACKS
6.	REQUIRED LANDSCAPE AREA (10 %) = 104.70 SQ.MT.
7.	PROPOSED LANDSCAPE AREA (10.04 %) = 105.21 SQ.MT.
8.	PERMISSABLE HEIGHT AS PER BYE LAWS = PLINTH (1.20) + STILT (6.50) +(1.5 X Road Width + Front Setback) = 1.20 + 6.50 + (1.5 x 18 + 9.00) = 1.20 + 6.50 + 36.00 = 43.70 M
9.	PROPOSED HEIGHT = PLINTH (0.75)+STILT (3.82) + 30.00 = 34.57 M
10.	E.C.U. REQUIRED :- RESIDENTIAL = 3518.66 / 115 = 30.59 + 10% (VISITOR PARKING) E.C.U. = 33.64 (CAR = 25.23 , SCOOTER = 25.23)
11.	E.C.U. PROPOSED :- CAR = 27 (Including 5 Mechanical), SCOOTER = 20, (33.66 E.C.U.) NUMBER OF FLATS/ UNITS = 20 CAR PARKING THROUGH DRIVEWAY = 26 CAR PARKING BACK TO BACK = 1
12.	ECU Proposed On Stilt = 15+9/3 = 18 Require Mechanical Parking On Stilt Floor =25% Of ECU On Stilt (25% Of 18)=4.5 Proposed Mechanical Parking On Stilt Floor = 5
13.	ELECTRIC VEHICLE POINT REQUIRED = 04 ELECTRIC VEHICLE POINT PROPOSED = 04
14.	MAXIMUM B.A.R ON STILT FLOOR (30% OF STILT FLOOR AREA) 30% OF 398.26 SQ.MT. = 119.47 SQ.MT. PROPOSED B.A.R ON STILT FLOOR = 59.46 SQ.MT.
15.	FACILITIES REQUIRED ON STILT FLOOR:- REQUIRED MINIMUM 2% OF TOTAL PROPOSED B.A.R. OR 50.0 SQ.MT. (WHICH EVER IS LESS) PROPOSED FACILITIES ON STILT = 55.78 SQ.MT.

	CAR Surface	CAR Mechanical	SCOOTERS
STILT	15	5	9
OPEN	7	-	11
TOTAL	27		20

AREA CALCULATION (AREA IN SQ. MTR.)

S.NO.	FLOOR	GROSS BUILTUP	ARCHITECTURAL ELEMENT	FIRE STAIR	LIFT WELL	B.A.R.
1	STILT FLOOR	398.26	-		-	59.46
	GUARD ROOM, UG WATER TANK DG./TRANSFORMER.	31.45	-		-	-
2	1st FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
3	2nd FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
4	3rd FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
5	4th FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
6	5th FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
7	6th FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
8	7th FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
9	8th FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
10	9th FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
11	10th FLOOR	398.26	28.21	15.01	9.12	345.92
	STAIR CASE MUMTY/ ARCHITECTURAL ELEMENT	201.13	-		-	-
	TOTAL	4613.44			-	3518.66

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

SCALE = 1:100

OWNER

For Bhavyaa Green Builders

Partner

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO 626/6, TEELAWALA, JAIPUR

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISH N
Architect
CA/99/25451

SHEET NO-02

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding further construction

FRONT ELEVATION

RIGHT ELEVATION

LEFT ELEVATION

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

04/07/2024

... मानचित्र का अनुमोदन किसी भी ... भूमि/भूखण्ड के प्रति स्वामित्व का प्रमाण-पत्र नहीं माना जायेगा और ... किसी के स्वामित्व ... प्रमाणित होगें।
... किये गये अनुमोदित मानचित्रों ... गये भवन निर्माण का ... (STRUCTURE) का ...

OWNER

For Bhavyaa Green Builders

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO 626/6, TEELAWALA, JAIPUR

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SHEET NO-03

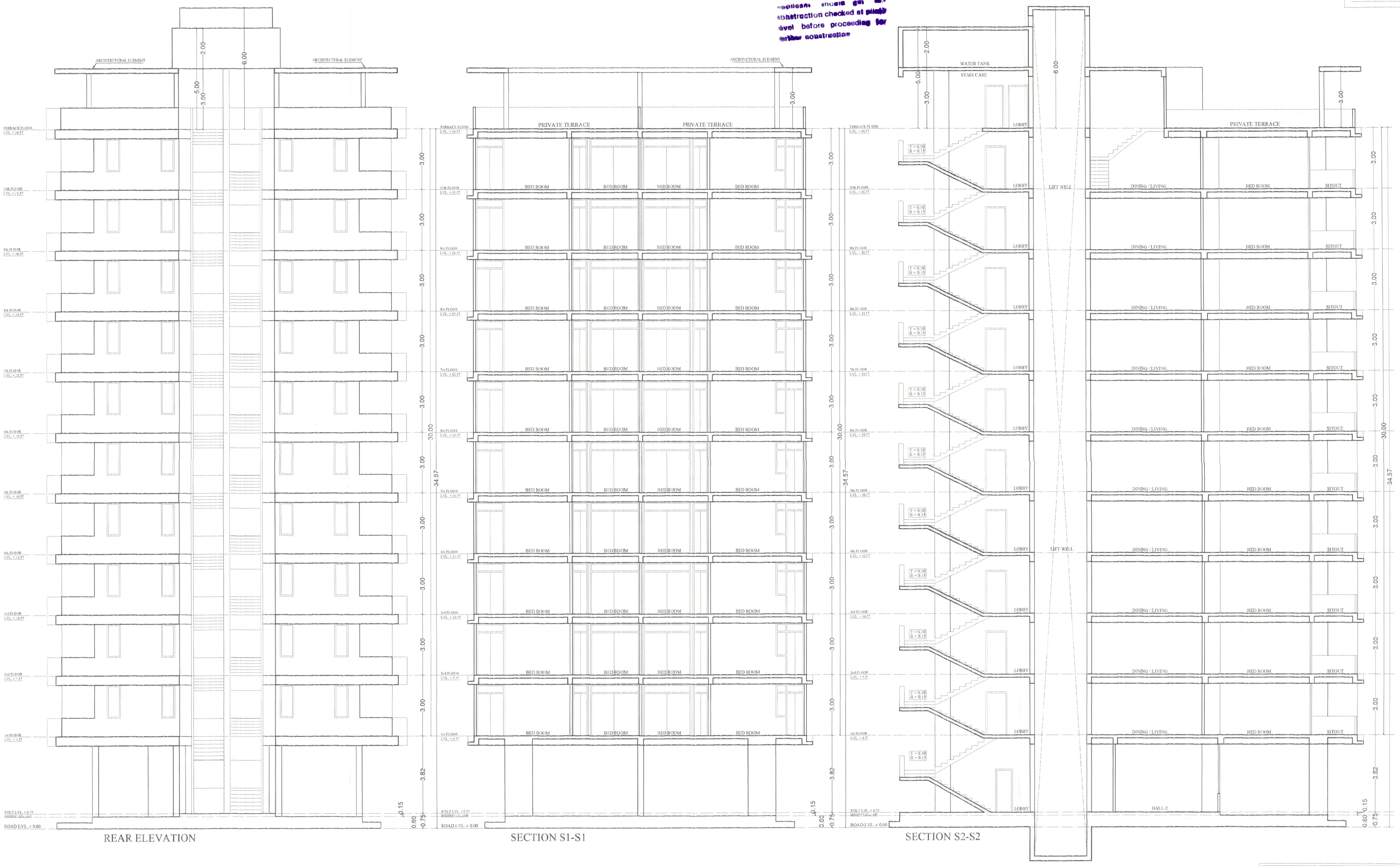

REAR ELEVATION

SECTION S1-S1

SECTION S2-S2

applicant should get the construction checked at plinth level before proceeding for further construction

अनुमोदित

उपनगर नियोजक (BP)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

वरिष्ठ नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
भवन मानचित्र समिति
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

OWNER

For Bhavyaa Green Builders

Partner

SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING AT KHASRA NO 626/6, TEELAWALA, JAIPUR

ARCHITECT :-
SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451

SPACE GRID
C-49,VIDYA APARTMENT,PARAS MARG,
BAPU NAGAR,NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766,0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SPACE GRID ARCHITECTS

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG, BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE, JAIPUR-302015 PH-09314918766, 0141-4005506 (O) Email: -info.spacegrid@gmail.com

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In reference to Project "**Bhavyaa Green Grandeur B**" situated at KHASRA NO 626/6, TEELAWALA, JAIPUR.

I, Shri Krishan, architect of the Project does solemnly declare that the open area in the project is as follows: -

	Area (in sqm)
Plot Area (A)	1047.00
Stilt Floor Area Without Projection (B)	376.62
Guard Room Area (C)	5.66
Total Open Area [A-(B+C)]	664.72

SHRI KRISHAN
Architect
CA/99/25451